केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली – 110032

सं.सी-27013/01/2016-हिन्दी 200 दिनांक: 17.07.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 89वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 89वीं बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2019 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

इस संदर्भ में सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(अवधेश तिवारी)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

....

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली . 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अवधेश तिवारी)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

केन्द्रीय बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.06.2019 को आयोजित 89वीं बैठक का कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 89वीं बैठक दिनांक 21.06.2019 को अपराह्न 12.00 बजे अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में परिवेश भवन के द्वितीय तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

श्री शीतल प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) द्वारा बैठक की कार्यसूची के अनुसार मदवार चर्चा शुरू की गई:

मद सं. 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को उनकी टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किए गए थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: प्रस्ताव किया गया कि विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाए। फलस्वरूप प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) की अनुशंसा पर और सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मद सं. 02: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

समिति को यह अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों को सुधारने हेतु सभी प्रभाग प्रभारियों से यथासंभव प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में, प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) द्वारा पुन: हिन्दी में अनुवादित मानक मसौदों एवं मूल पत्राचार के रूप में कवर पत्रों आदि के प्रयोग पर बल देते हुए अनुरोध किया गया कि इन छोटे-छोटे प्रयासों से पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्राचार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने का निदेश दिए गए।

गत बैठक में स्वीकृत गृह पत्रिका के प्रकाशन की स्थिति के संबंध में सभी से अनुरोध किया गया कि न केवल प्रभाग स्तर पर अपितु निजी स्तर पर भी लेख इत्यादि भेंजे।

अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग

मद सं. 3: गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

समिति को गत तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि दि. 25.04.2019 के पत्र के तहत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से श्रीमती वीना शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट की अधिकांश मदों की स्थिति संतोषजनक बतायी गई। परंतु कुछ मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है जो इस प्रकार हैं:

1. तिमाही रिपोर्ट की मद सं.4 (हिन्दी पत्राचार बढ़ाने) पर क्षेत्र 'क' एवं 'ख' हेतु लक्ष्य अनुसार कार्रवाई करने के विशेष निदेश दिए गए हैं।
2. रिपोर्ट के भाग (II) की मद सं.2 (ii) के अनुसार कार्यालय में एक आशुलिपिक और एक टंकक हिन्दी आशुलिपिक/टंकण के लिए शेष है जिन्हें जल्द से जल्द उक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। इस संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय की ओर से अनुमति प्रदान कर दी गई है।
3. रिपोर्ट के भाग (II) की मद सं.2 (iii) के अनुसार कार्यालय में 02 कर्मचारियों को हिन्दी अनुवाद के प्रशिक्षण दिया जाना शेष है । इस संबंध में सूचनीय है कि 01 कर्मचारी को नामित कर दिया गया है। शेष 01 कर्मचारी को तदोपरांत नामित कर दिया जाएगा।
4. रिपोर्ट के भाग (II) की मद सं.8 के अनुसार 35 अनुभागों में से केवल 05 अनुभागों का निरीक्षण किया गया है परंतु 25% अनुभागों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। समय-समय पर अंतर कार्यालयी निरीक्षण आयोजित किए जाएगें ।

5) रिपोर्ट के भाग (II) की मद सं.10 के अनुसार वर्ष के दौरान पुस्तकों पर किए गए कुल व्यय रू.57334/- में से हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर केवल रू.13024/- व्यय किए गए जो 22.7% है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त के संबंध में कार्रवाई करने के निदेश दिए गए। प्रभारी- पुस्तकालय ने इस संबंध में आश्वासन दिया कि हिन्दी प्रभाग से नवीनतम सूची प्राप्त होते ही पुस्तकों की खरीद कर ली जाएगी।

तत्पश्चात समिति को अवगत कराया गया कि गत तिमाही में केन्द्रीय बोर्ड में दिनांक 19.06.2019 को 25 अधिकारियों हेतु 01 पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

अनुवर्ती कार्यवाही-प्रशासन (का), हिन्दी प्रभाग एवं प्रभारी- पुस्तकालय

मद सं. 4 : वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में।

जैसा कि विदित है कि हिन्दी प्रभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019-2020 उपलब्ध करवा दिया गया था । सभी से अनुरोध किया गया कि उक्त वार्षिक कार्यक्रम 2019-2020 में उल्लिखित निर्धारित लक्ष्यानुसार हिन्दी पत्राचार बढ़ाने में योगदान दें।

अनुवर्ती कार्यवाही - सभी प्रभाग, सभी निदेशालय एवं हिन्दी प्रभाग

मद सं. 5 : हिन्दी संगोष्ठी के संबंध में ।

वार्षिक कार्यक्रम 2019-2020 के राजभाषा नीति संबंधी निदेश के बिंदु सं. 37 में हर तिमाही में एक हिन्दी संगोष्ठी पर अनुमोदन के पश्चात सभी प्रभागों से संगोष्ठी के संबंध में सुझाव अपेक्षित हैं।

अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग

मद सं. 6 : आगामी तिमाही के दौरान जॉच बिंदु बनाना ।

तिमाही बैठक में हिन्दी कार्यों का ब्यौरा रखने के साथ-साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ जांच बिंदु बनाने का अनुरोध किया गया था। ऐसे जांच बिंदुओं के प्रयोग से छोटे-छोटे प्रयास कर हिन्दी के कार्यों को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकेगा। उनका सख्ती से अनुपालन किया जाए।

अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग

मद सं. 7: बोर्ड में होने वाली बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिन्दी में जारी करने के संबंध में।

82वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार केंद्रीय बोर्ड में होने वाली बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए जाएगें किंतु किसी भी प्रभाग द्वारा कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिन्दी में जारी नहीं किए गए। यह बहुत आवश्यक मद है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट में इस मद का उल्लेख आता है। इस संबंध में सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिन्दी में भी अनिवार्य रूप जारी करें।

अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग प्रभारी, जनसंपर्क विभाग

मद सं. 8: वर्ष के दौरान आयोजित सभी प्रशिक्षण सत्रों में राजभाषा हिन्दी विषय पर अनिवार्य व्याख्यान रखने के संबंध में।

समिति को अवगत कराया गया था कि वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 के राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश के मद सं.31 के अनुसार कार्यालय में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम एक सत्र अनिवार्य रूप से रखा जाए ताकि नए भर्ती हो रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साथ अन्य सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा की महत्ता, आवश्यकता, अनिवार्यता संबंधी ज्ञान प्राप्त हो सके तथा तदनुसार कार्यान्वयन में मदद मिल सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय में सहमति प्रदान कर दी गई है।

अनुवर्ती कार्यवाही - प्रभारी ईटीयू

मद सं. 9 प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों (आशुलिपिकों, सहायकों, लेखा सहायकों एवं अवर श्रेणी लिपिकों) को प्रशिक्षण हेतु नामित करने के संबंध में।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्रशिक्षण हेतु आशुलिपिक, टंकक, सहायक आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। गत दो तिमाहियों में आशुलिपिक, टंकक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने के लिए किसी भी प्रभाग प्रभारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस संबंध में, नामित कर्मचारियों के प्रभारियों से पुन: अनुरोध किया गया था कि प्रशिक्षण हेतु उन्हें कार्यमुक्त करें ताकि कर्मचारियों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव दिया कि हिन्दी शिक्षण योजना कार्यालय से पूछा जाए कि क्या यह प्रशिक्षण केंद्रीय बोर्ड में आयोजित किया जा सकता है? इस संबंध में हिन्दी शिक्षण योजना कार्यालय को पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्राप्ति पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी है।

अनुवर्ती कार्यवाही-हिन्दी प्रभाग

मद सं. 10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

कार्य की स्थिति को जानकर अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभागों के प्रभारियों से राजभाषा संबंधी कार्य की ओर ध्यान देने का निदेश दिया गया। छोटी-छोटी टिप्पणियॉं लिखने का, कवर पत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग कर मूल पत्राचार बढ़ाने का प्रयास करें।

अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग

अंत में अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

****